लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4334

19 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष

4334. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोशः
श्री बैन्नी बेहननः
श्री के. शनमुगा सुदंरमः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मिक बनाने और इसकी पूंजी-लागत में कटौती करने हेतु नवीनतम और उपयुक्त प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने के लिए वर्ष 1999 में प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टीयूएफएस) शुरू की गई थी और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत कुल कितना निवेश आकर्षित किया गया और राजसहायता जारी की गई है;

(ख) क्या मंत्रालय के पास टीयूएफएस के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए तमिलनाडु को कितनी धनराशि जारी की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो टीयूएफएस के अंतर्गत धनराशि में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान टीयूएफएस के अंतर्गत कितने रोजगार का सृजन हुआ है, ब्याज से राहत प्राप्त करने हेतु कितने आवेदन लंबित हैं और स्वीकृत किए गए हैं और रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) लंबित आवेदनों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार टीयूएफएस की शीघ्र मंजूरी हेतु और बांग्लादेश से परिधानों के आयात में वृद्धि से निपटने की कोई योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), ऋण से संबद्ध सब्सिडी योजना है जिसे मशीनरी के उन्नयन में निवेश के लिए निर्दिष्ट ब्याज की प्रतिपूर्ति और पूंजी सब्सिडी प्रदान करके वस्त्र उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश के उत्प्रेरण हेतु वर्ष 1999 में शुरू किया गया था। विगत में इस योजना को कई बार संशोधित और

पुनर्गठित किया गया है और योजना के अद्यतन स्वरूप को संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के नाम से जाना जाता है जिसे जनवरी, 2016 से मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए शुरू किया गया था।

एटीयूएफएस के तहत ऑनलाइन पोर्टल (आईटीयूएफएस) में विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कुल 6,999 नए आवेदन (यूआईडी के साथ जारी) पंजीकृत किए गए हैं जिनमें 25,603.98 करोड़ रुपए की परियोजना लागत (निवेश) शामिल है। विगत तीन वर्षों (2016-17 से 2018-19 और चालू वर्ष (जून, 2019) के दौरान टीयूएफएस/एटीयूएफएस के तहत 5,160.27 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की गई है।

(ख) : एटीयूएफएस के तहत निधि की आवश्यकता, मांग आधारित होती है और वर्ष 2019-20 के लिए एटीयूएफएस के तहत 700.00 करोड़ रुपए का बजट आबंटन है। विगत तीन वर्षों (2016-17 से 2018-19) और चालू वर्ष (जून, 2019) के दौरान तमिलनाडु राज्य में स्थित वस्त्र उद्योग को टीयूएफएस/एटीयूएफएस के तहत 559.97 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की गई है।

(ग) और (घ) : एटीयूएफएस के तहत ब्याज राहत का कोई प्रावधान नहीं है और बैंचमार्क वाली पात्र मशीनरी में निवेश के लिए किसी इकाई को एकबारगी पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान एटीयूएफएसक के तहत ऑनलाइन पोर्टल (आईटीयूएफएस) के तहत पंजीकृत 6,982 आवेदनों (यूआईडी के साथ जारी) की तुलना में रोजगार के कुल 7,09,472 अवसरों के सृजित होने का अनुमान है।

(ड़) : टीयूएफएस/एटीयूएफएस के तहत सब्सिडी दावों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और ऑनलाइन आईटीयूएफएस समाधान को परिचालनात्मक बना दिया गया है। एटीयूएफएस का उद्देश्य वस्त्र उद्योग में आयात प्रतिस्थापन के साथ निवेश, उत्पादकता, गुणवत्ता, रोजगार, निर्यात संवर्धन को सुविधाजनक बनाना है। इस योजना के तहत परिधान निर्माण और तकनीकी वस्त्र सेगमेंट के लिए 30 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन उच्चतर दर पर 15% की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

*****